

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (पी-377) अलेसे-1/3119-3124

दिनांक:- 05/03/2024

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 58/2021-22 दिनांक 18.01.2022 द्वारा श्री प्रेमकान्त शर्मा (लिंग नम्बर 2653) तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1। (वर्तमान सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1) का स्थानान्तरण कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी (अलवर) से कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तिजारा (अलवर) में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 05.03.2024 को मध्याह्न पश्चात से एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा अविलम्ब नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्य दिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (पी-377) अलेसे-1/3119-3124

दिनांक:- 05/03/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी (अलवर)।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तिजारा (अलवर)।
3. श्री प्रेमकान्त शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी (अलवर)।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट।


(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)